

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग-3
सं0- 23/2018/474/29-3-2018-23एम/13
लखनऊ दिनांक 07 जून 2018

कार्यालय-जाप

एच0सी0एल0 इन्फोसिस्टम्स लि0 कम्पनी (आफिस आटोमोशन डिवीजन लखनऊ) द्वारा तोशिवा कम्पनी की खाद्य एवं रसद विभाग शाखा में स्थापित 04 फोटो कापियर मशीनों (मॉडल-ई-स्टूडियो-255) का वार्षिक अनुरक्षण एक वर्ष के लिये किया जाना है। एच0सी0एल0 इन्फोसिस्टम्स लि0 के पत्र संदर्भ संख्या-एच.सी.एल.एस./एनओवी-17/ एएसपी/045 दिनांक 10-11-2017 के माध्यम से मे0 वी.आर. इनकारपोरेशन, प्रथम तल, कमरा नं0-107, मुरली भवन अशोक मार्ग लखनऊ को अपना अधिकृत पार्टनर घोषित करते हुए उन्हें तोशिवा कोपियर मशीन हेतु सर्विस उपलब्ध कराने के लिये अधिकृत किया गया है। अतएव मे0 वी.आर. इनकारपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल (जीएसटी नं0-09ALXPS0256L1Z8) के क्रम में उक्त 04 फोटो कापियर मशीनों का वार्षिक अनुबन्ध करते हुए इस हेतु जीएसटी सहित कुल धनराशि रू0 94400.00(रू0 चौरानवे हजार चार सौ मात्र) का भुगतान मे0 वी.आर. इनकारपोरेशन (Authorised Services Provider Of HCL Services LTD), मुरली भवन अशोक मार्ग लखनऊ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि आदेश की तिथि से एक वर्ष होगी।
 - 2- मशीन की खराबी के संबंध में अथवा कन्ज्यूमेविल आइटम यथा टोनर, कोर्टेज, ड्रम अथवा डेवलपर समाप्त होने की सूचना प्राप्त होते ही मशीन की सर्विसिंग तथा कन्ज्यूमेविल सामान की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म द्वारा तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आपूर्ति के पश्चात देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
 - 3- बिल में अंकित/निहित देय टैक्सेज की दरों तथा आगणित धनराशि के नियमानुसार सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-12-कार्यालय फर्नीचर तथा उपकरण" के नामें डाला जायेगा।

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 3- एच०सी०एल० सर्विसेज लि० ४ए, फैजाबाद रोड नियर-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अपोजिट दुआ का घर, लखनऊ ०७।
- 4- मे० वी.आर. इनकारपोरेशन, प्रथम तल, कमरा नं०-१०७, मुरली भवन अशोक मार्ग लखनऊ।
- 5- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग-१
- 6- उप सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ०प्र० शासन।
- 7- अनुभाग अधिकारी, लेखा अनुभाग खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ०प्र० शासन को बिल की मूल प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया धनराशि का भुगतान मे० वी.आर. इनकारपोरेशन, प्रथम तल, कमरा नं०-१०७, मुरली भवन अशोक मार्ग लखनऊ को करने का कष्ट करें।
- 8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-१/६ तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१/३ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अनुभाग में स्थापित फोटो कापियर मशीन की मरम्मत हेतु सीधे फर्म को निर्देशित करने का कष्ट करें। इस संबंध में खाद्य एवं रसद अनुभाग-३ से पत्र व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है।
- 9- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-९(विविध) उ०प्र० शासन।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-५ उ०प्र० शासन।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए०पी० त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।